



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11122020-223651
CG-MH-E-11122020-223651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/ अग्रहायण 18, 1942

No. 538]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

भारतीय स्टेट बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2020

फा. सं. एचआर/पीपीजी/एसकेएन/2020-21/206.- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 के 23) की उप धारा 50 के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से केंद्रीय बोर्ड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक पेंशन निधि विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन किया गया यथा: -

- संक्षिप्त नाम और शुरुआत___ (1) इन विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय स्टेट बैंक, कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 के विनियम 17 में "मजिस्ट्रेट अथवा बैंकर द्वारा सत्यापित" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, यथा:-

"अथवा वीडियो आधारित पहचान के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र द्वारा."

राजेश कुमार मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

नोट: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, धारा 4, दिनांक 18 सितंबर, 2014 को दिनांक 15 सितंबर, 2014 अधिसूचना सं. एफ न. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1136 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या बीओडी एंड जीओ/वीवीके/470, और दिनांक 1 जून 2019 की अधिसूचना संख्या एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/122, द्वारा इनमें संशोधन किया गया था।

STATE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2020

F. No.HR/PPG/SKN/2020-21/206.—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the in the Official Gazette.

2. In the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, in regulation 17, after the words “attested by a Magistrate or Banker”, the following words shall be inserted, namely:—

“or by a digital life certificate through video-based identification.” .

RAJESH KUMAR MISHRA, Chief General Manager (HR)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 18th September, 2014 *vide* notification number F. No. CDO/PM/16/ SPL/ 1136, dated the 15th September, 2014 and were subsequently amended by notification numbers BOD&GO/VVK/470, dated the 4th October, 2017 and notification number HR/PPG/PA/19-20/122, dated the 1st June, 2019.